संख्या-69/2023/001-2469925(2)/12-2002(002)/1/2023

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति से मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 165.00 लाख के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एस0एफ0/605-जी/मिलेट्स/बीज/2023-24, दिनांक 10 अगस्त, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 103-बीज, 06-उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि विभागीय बचतों से, संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 165.00 लाख (रूपया एक करोड़ पैसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
8. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,65,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-69/2023/001-2469925(3)/12-2002(002)/1/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1 (बी0ण्म0-9 तीन प्रतियों में), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2469925 12-2002 - 002 1 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में धनराशि भिन्न मानक मद में प्राविधानित हो जाने के कारण पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	1,65,75,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र	1,65,75,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र	-1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	75,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)	27 (सब्सिडी)	0	1,65,00,000 रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र	1,65,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1)- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीज मिनीकिट वितरण हेतु अपेक्षित धनराशि का प्राविधान मानक मद 27-सब्सिडी के स्थान पर मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में हो गया है, जिसके कारण बचत हो रही है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में अपेक्षित धनराशि का प्राविधान मानक मद 27-सब्सिडी के स्थान पर मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में हो गया है, जिसके कारण व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

(3)-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0 -वित्त-1-64

संख्या: आर ई-< ८ >-2023-24, दिनांक- 30-08-2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अनु सचिव

संख्या-2469925(1)/ 12-2002(002)/1/ 2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।